GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय

RAILWAY BOARD/रेलवे बोर्ड

S. No. PC-VII/27
No. PC-V/2017/A/FPA/1

RBE No. 77 /2017
New Delhi, dated28 /07/2017

The General Managers
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list)

Subject:-Discontinuance of Family Planning Allowance for adoption of small family norms recommendation of the 7the Central Pay Commission.

Please refer to Board's letter No. PC-V/2008/A/O/2(FPA), dated 14.10.2008 (RBE No. 151/2008) regarding the existing rates of Family Planning Allowance (FPA) admissible to Railway employees and as provided for in para 9 of the Schedule for RS(RP) Rules, 2016, dt. 02.08.2016 (RBE No.93/2016), the matter regarding allowances (except Dearness Allowance) based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission were to be notified subsequently and separately. Until then, all allowances were required to be paid at the existing rates in the existing pay structure (the Pay structure based on 6th Pay Commission) as if the pay has not been revised w.e.f. 1st January, 2016. Accordingly, FPA was also required to be paid at the existing rates specified in the aforesaid Board's letter dated 14.10.2008.

2. The decisions of the Government on various allowances based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission and in the light of the recommendations of the Committee under the Chairmanship of the Finance Secretary, constituted for this purpose, have since been notified. The recommendation of the 7th Central Pay Commission to abolish Family Planning Allowance has been accepted and this decision is effective from 1st July, 2017. Accordingly, Family Planning Allowance, as admissible hitherto, shall cease to exist in all cases.

3. **These orders shall take effect from 1st July, 2017 and hence Family Planning Allowance shall stand discontinued w.e.f. 1st July, 2017.**

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Hindi version is enclosed.

{Authority: MoF's OM No. 12(4)/2016-EIII.A, dt.7th July, 2017)

(N.P.Singh)
Dy. Director, Pay Commission-V
Railway Board

GOVERNMENT OF INDIA/ भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD/रेलवे बोर्ड

क्र.सं. पीसी-VII/27
सं.पीसी –V/2017/ए/एफपीए/1

आरबीईसं. 77 /2017
नई दिल्ली, दिनांक 28/07/2017

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: छोटे परिवार के मानदंड को अपनाने के लिए दिए जाने वाले परिवार नियोजन भत्ते को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार समाप्त करना

कृपया बोर्ड के दिनांक 14.10.2008 के पत्र सं. पीसी–V/2008/ए/ओ/2(एफपीए) (आरबीई सं.151/2008), जो रेलवे कर्मचारियों को स्वीकार्य परिवार नियोजन भत्ते (एफपीए) की मौजूदा दरों के बारे में है और दिनांक 02.08.2016 के आरएस (आरपी) नियम 2016 (आरबीई सं. 93/2016) की अनुसूची के पैरा 9, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर भत्तों (मंहगाई भत्ते को छोडकर) से संबंधित मामले को बाद में अलग से अधिसूचित किया जाएगा और तब तक सभी भत्तों का भुगतान, मौजूदा वेतन संरचना (छठे वेतन आयोग पर आधारित वेतन संरचना) में मौजूदा दरों पर ही इस प्रकार किया जाना अपेक्षित है मानो कि 1 जनवरी, 2016 से वेतन में संशोधन न किया गया हो, का अवलोकन करें। तदनुसार, परिवार नियोजन भत्ते का भुगतान भी बोर्ड के दिनांक 14.10.2008 के उल्लिखित पत्र में विनिर्दिष्ट मौजूदा दरों पर किया जाना अपेक्षित था।

2. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर और इस प्रयोजन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफ़ारिशों के आलोक में विभिन्न भत्तों के संबंध में सरकार के निर्णय अब अधिसूचित कर दिए गए हैं। परिवार नियोजन भत्ता समाप्त करने के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिश को स्वीकार कर लिया गया है और यह निर्णय 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी है। तदनुसार, अब तक यथा-स्वीकार्य परिवार नियोजन भत्ता सभी मामलों में समाप्त कर दिया जाएगा।

3. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे और अतः परिवार नियोजन भत्ता 1 जुलाई, 2017 से समाप्त हो जाएगा।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(प्राधिकार : वित्त मंत्रालय का दिनांक 7 जुलाई, 2017 का का. ज्ञा. सं. 12(4)/ 2016 – ई III.ए)

(एन. पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग V
रेलवे बोर्ड